विषय सूची

1.	भारतीय संविधानः प्रस्तावना, मुख्य विशेषताएँ तथा भारतीय संघ	1
2.	मौलिक अधिकार, मौलिक कर्त्तव्य और राज्य के नीति निदेशक तत्व	7
3.	केंद्रीय सरकार	17
4.	राज्य सरकार	29
5.	हमारे न्यायालय	37
6.	स्थानीय शासन	43
7.	चुनाव आयोग एवं चुनाव प्रक्रिया	49
8.	राजनीतिक दल और दल प्रणाली	57
9.	क्षेत्रीय असंतुलन क्षेत्रवाद, भाषावाद और पृथकतावाद	67
10.	सांप्रदायिकता, जातीयता और राजनीतिक हिंसा	75
11.	भारत की विदेश नीतिः नीति-निर्धारक तत्व एवं आधारभूत सिद्धांत	84
12.	भारत एवं संयुक्त राष्ट्र	90
13.	गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका	98
14.	मुख्य विषयों पर भारत का दृष्टिकोण निरस्त्रीकरण, मानवाधिकार और भमंडलीकरण	107
	वस्तनिष्ठ प्रश्न	118

1

भारतीय संविधानः प्रस्तावना, मख्य विशेषताएँ तथा भारतीय संघ

संविधान का अर्थ

संविधान एक आधारभूत कानूनी दस्तावेज है जिसके अनुसार देश की शासन प्रणाली क्रियान्वित होती है। यह वह आधारभूत कानून है जो सरकार के प्रमुख अंगों, उनके कार्यक्षेत्र एवं नागरिकों के आधिकारों को सुनिश्चित करता है तथा उनकी सीमाएँ निर्धारित करता है। इस प्रकार संविधान देश के सभी कानूनों से श्रेष्ठ होता है। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो संविधान अनुकूल न हो। प्रत्येक सरकार को संविधान में लिखित कानूनों के अनुरूप ही कार्य करना होता है, जिन्हें राज्य का बुनियादी कानून भी कहा जा सकता है। संविधान के यही कानून उन नियमों तथा विनियमों के स्रोत होते हैं जो देश का शासन चलाने के लिए बनाए जाते हैं।

लोकतांत्रिक सरकार में संविधान का महत्त्व और भी अधिक बढ़ जाता है। लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार होती है जिसमें शासन के संचालन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों की भागीदारी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की शक्तियाँ सीमित होती है तथा उनका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाता है। इस व्यवस्था में नागरिकों के अधिकारों का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। सरकार के कार्यकलापों पर ये सीमाएँ संविधान के माध्यम से ही लगाई जाती हैं।

संविधान को सरकार की शक्ति एवं सत्ता का स्त्रोत कहा जाता है। संविधान में यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार के विभिन्न अंगो की शक्तियाँ क्या हैं, वह क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। ऐसा करने का उद्देश्य यह होता है कि सरकार के विभिन्न अंगों की कार्य प्रणाली के संबंध में किसी प्रकार की भ्रांतियाँ या विवाद की संभावना कम से कम रहे। संविधान में मुख्यतया दो बातों का समावेश होता है– यह सरकार के विभिन्न अंगों के बीच संबंधों तथा सरकार और नागरिकों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करता है। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि संविधान के कारण सरकार सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। यही कारण है कि संविधान किसी देश का अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

प्रस्तावना का शब्दिक अर्थ होता है भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध उसके उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा उसके आधारभूत सिद्धांतों से है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सीधा संबंध उस उद्देश्य प्रस्ताव से है जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया था। इस प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान हैः यह संविधान संपूर्ण भारत वर्ष को एक स्वतंत्रता और संप्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित करने तथा उसके भावी शासन प्रबंध के लिए एक ऐसे संविधान

का निर्माण करने का दृढ़ और पवित्र संकल्प लेती है, जिसमें स्वतंत्र और संप्रभुता संपन्न भारत और उसके विभिन्न भागों तथा शासन के अंगों की सत्ता का मूल स्त्रोत भारतीय जनता होगी, जिसमें भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय, प्रतिष्ठा, अवसर, और विधि के समक्ष समता, तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन रहते हुए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, निष्ठा, उपासना, व्यवसाय, संगठन तथा कार्य की स्वतंत्रता सुरक्षित होगी तथा जिसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनजाति क्षेत्रों, दलितों तथा अन्य वर्गों की सुरक्षा के लिए समुचित साधन उपलब्ध होंगे।

संविधान सभा के संविधानिक सलाहकार बी. एन. राव ने उपर्युक्त प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया। संविधान की प्रारूप समिति ने इस प्रारूप पर विचार किया तथा इसमें आवश्यक संशोधन करके संविधान सभा के कार्यों के आखिरी चरण में इसे पारित किया ताकि यह संविधन के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप हो।

यदि हम इस प्रस्तावना का विश्लेषण करें तो पहली बात जो इसमें आती है वह है 'हम भारत के लोग' इसका अर्थ यह हुआ कि यह प्रस्तावना भारत वर्ष के लोगों को एक संप्रभु शक्ति के रूप में घोषित करती है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने भारतीय जनता की संप्रभुता पर सदैव बल दिया था।

इस संविधान का निर्माण एक ऐसी संविधान सभा ने किया था जिसे भारतीय जनता ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किया था।

प्रस्तावना की दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व–संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की बात करती है। संपूर्ण प्रभुत्व–संपन्न से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहाँ भारत वर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्णतया स्वतंत्र हो। कुछ आलोचकों का यह मत है कि कॉमनवेल्थ की सदस्यता के कारण भारत की इस स्थिति में कुछ कमजोरी है किंतु यह बात सच नहीं है। कॉमनवेल्थ की मूल स्थिति में अब कापफी परिवर्तन आ चुका है। अब यह विशुद्ध रूप से एक ऐच्छिक समुदाय है जिसके सदस्य स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य हैं।

समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के 42 वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए। समाजवादी शब्द का प्रयोग संविधान में समाजवादी दर्शन को सम्मिलित करने के लिए किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि संविधान सभा में जब के.टी. शाह ने इसी प्रयोजन का एक प्रस्ताव रखा था तो जवाहर लाल नेहरू ने यह कहकर इसका जोरदार विरोध किया था कि संविधान के दो अध्यायों, मौलिक अधिकार तथा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों, में पहले से ही अर्थिक लोकतंत्र के सार तत्व की व्यवस्था कर दी गई है, तो पिफर ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिसका भिन्न–भिन्न लोग भिन्न–भिन्न अर्थ निकालें।

इसी प्रकार, संविधान सभा में यह सुझाव भी आया था कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता का भी उल्लेख किया जाए। किंतु इसका भी यह कहकर विरोध किया गया कि इस शब्द का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है पर 1976 में देश के नेतृत्व नें इसे प्रस्तावना में रखना उचित समझा।

पंथ निरपेक्ष शब्द की जो व्याख्या भारतीय न्यायालयों में की गई है, उसके अनुसार पंथ निरपेक्षता का अर्थ धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव है तथा जहाँ सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाए, वही पंथ निरपेक्षता है।

लोकतंत्रा से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहाँ सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है तथा जो अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके अनुसार एक निश्चित अंतराल के बाद निर्वाचन होते हैं तथा जनता को स्वतंत्रता पूर्वक तथा न्यायपूर्ण तरीके से मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। इसका एक अर्थ यह भी है कि यहाँ विधि का शासन होगा तथा कोई भी स्वेच्छाचारिता पूर्वक आचरण नहीं कर सकेगा।

गणराज्य से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहाँ राज्य के प्रमुख को निर्वाचन द्वारा पद प्राप्त होता है आनुवंशिकता के

आधार पर नहीं।

प्रस्तावना का एक उद्देश्य यह भी है कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की प्राप्ति हो। न्याय का सामान्य अर्थ यह है कि जहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो तथा सबको उनके उचित अधिकार प्राप्त हों। सामाजिक न्याय से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहाँ जाति, मत (creed) लिंग, जन्म स्थान, धर्म या भाषा आदि में से किसी के भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए तथा समाज में सभी को समान स्थान/अवसर प्राप्त हों। इसी प्रकार, राजनैतिक न्याय से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहाँ सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान का, चुनाव लड़ने का तथा सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हो।

प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्राता को भी आदर्श रूप में उल्लेखित किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि सभी नागरिकों को समान रूप से इच्छानुसार धर्म पालन करने तथा अपने विचारों को स्वतंत्राता पूर्वक व्यक्त करने की छूट हो और राज्य इन विषयों में तब तक हस्तक्षेप न करे जब तक दूसरों की स्वतंत्राता अथवा अधिकार बाधित न हों।

प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का भी उल्लेख किया गया है। इससे अभिप्राय यह है कि सभी नागरिकों को अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग करने तथा बिना किसी विघ्न बाधा के अपने व्यक्तित्व के विकास का समुचित अवसर प्राप्त हो।

प्रस्तावना में व्यक्ति की गारिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का भी उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में बंधुता की भावना का आधार व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए न कि समाज में उसकी स्थिति। इसी प्रकार, राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार भी बंधुता की भावना होनी चाहिए।

संक्षेप में, प्रस्तावना का लक्ष्य एक एसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है जहाँ जनता संप्रभु हो, शासन निर्वाचित और जनता के प्रति उत्तरदायी हो, शासन की सत्ता जनता के मौलिक अधिकारों से सीमित हो तथा जनता को अपने विकास का समुचित अवसर प्राप्त हो। यद्यपि वैधानिक रूप से प्रस्तावना न्यायालयों द्वारा लागू नहीं की जा सकती तथापि यह संविधान के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है तथा किंकर्त्तव्यविमूढ़ता की स्थिति में यह पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है।

भारतीय संविधान: मख्य विशेषताएँ

भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ दो प्रकार की हैं। कुछ विशेषताएँ अद्वितीय हैं जो भारत के किसी पूर्व संविधान में नहीं पायी जाती हैं।

वस्तनिष्ठ प्रश्न

1. निम्न उद्देश्यों में से कौन-सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है?
   (a) विचार की स्वतंत्रता (b) आर्थिक स्वतंत्रता
   (c) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
   (d) विश्वास की स्वतंत्रता
2. भारत के संविधान के सन्दर्भ में अग्रलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. सरकार के ढाँचे के अलावा, यह वांछनीय सिविल समाज और अर्थव्यवस्था के कुछ पहलुओं से भी अपना सम्बन्ध रखता है।
   2. वर्ष 1976 में हुए संशोधनों के द्वारा नागरिकों के अधिकारों के साथ-साथ उनके मूल कर्त्तव्यों की भी रूपरेखा दी गई है।

   उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 (d) न तो 1, न ही 2
3. मानव अधिकार विधि के एक ढाँचे के भाग के रूप में, सभी मानव अधिकार
   1. अन्योन्याश्रित हैं 2. अन्त:सम्बन्धित हैं
   3. अविभाज्य हैं

   उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) 1, 2 और 3
   (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3
   (d) केवल 2
4. मौलिक अधिकारों की संरक्षक है
   (a) न्यायपालिका
   (b) कार्यपालिका
   (c) संसद (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
5. भारत के संविधान के सदंर्भ में, राज्य के नीति के निदेशक तत्व
   1. विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं।
   2. कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते है।

   उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 (d) न तो 1, न ही 2